

सैंपल पेज 1

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र फोटो के ऊपर सील होनी चाहिये सरकारी ऑफिसर

प्रार्थी के जावार नं.	[REDACTED]
प्रार्थी के जानावार कार्ड नं.	[REDACTED]



1	प्रार्थी का नाम	भृष्णु महावीर
2	पिता/पति का नाम	स्व. भृष्णु महावीर
3	वर्तमान स्थायी पता	[REDACTED]
4	पिता/पति का मूल स्थान	[REDACTED] भृष्णु महावीर
5	पिता/पति का व्यवसाय	[REDACTED]
6	पिता/पति के व्यवसाय का पता	[REDACTED] भृष्णु महावीर
7	जन्म रक्षान	[REDACTED] भृष्णु महावीर
8	जन्म दिनांक	05.07.2014
9	आपके किस कदा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की	

शिक्षण संस्थान का नाम	स्थान:
कक्ष 1 से 9	
10 वीं	
12 वीं	
द्वातङ्क	
स्नातकोत्तर	
अन्य	

10. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मध्य स्थान
भृष्णु महावीर बुनियादी गृह
11. क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का है/नहीं
12. आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है। जन्म से
13. मोबाइल नं. 6367
(स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन संरक्षित सूचना चाहता है।)

महिला के लिए

1. क्या आप विवाहित है ?
2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ?
3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवास है ?
4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रही है ?

क्रमांक	साथ	साथ हेतु सलग्न दस्तावेज
1	राजस्थान में पेटा हुआ हो उसके माता पिता इस राज्य के मूल निवासी हो	माता/पिता का मूल निवास प्रमाणपत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या लगाकार 10 वर्षों के विजली/पारी/टेलीजोन के विलप्रवेक वर्ष का एक एक व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र 10 वर्षों के लगातार शिळण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र
2	उसका या उसके माता/पिता का राजस्थान में 10 वर्षों अधिक वर्षों से मकान हो और यह उनका मकान कही अन्यथा हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के स्वयं में अंगीकृत करते हो	माता/पिता का मूल निवास प्रमाणपत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या लगाकार 10 वर्षों के विजलप्रवेक वर्ष का एक एक व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र 10 वर्षों के लगातार शिळण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र
3	जह या उसके माता-पिता 10 वर्षों से विवेद से विवेद ने रह हो/हो तो और उसे विवेद ने हेतु कियायामा प्रलुब्ध शिलण या संकेता।	माता/पिता का मूल निवास प्रमाणपत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या लगाकार 10 वर्षों के विजलप्रवेक वर्ष का एक एक व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र 10 वर्षों के लगातार शिलण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र
4	उन महिलाओं की दस्ता में जा राजस्थान की मूल निवासी रही है और ऐसे व्यवित से विवाह कर लेगी है जो मूल निवासी है और जो उपने पति के साथ राजस्थान में रहती है राजान्यतमा राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।	पति जा मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या विवाह प्रमाण पत्र
5	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपकार में हींग वर्ष से स्वयं या उसके माता/पिता कार्यरत हो (उक्त राज्य अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र (TSP) के लिए लागू नहीं होगा)	पिता/पति के राजकीय उपकार में 03 वर्ष पदव्यवसित रहने का प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाईसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विवास मे सही है। (गुणे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शायद-पन्थ मे अस्तित्व तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 183 के धीन तीन वर्ष तक के करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

दिनांक _____
स्थान _____

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

(1) मैं [REDACTED] पुत्र/पुत्री/पली/ [REDACTED] निवासी [REDACTED] राजकीय सेवा [REDACTED] एवं [REDACTED] पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमती [REDACTED] पुत्र/पुत्री [REDACTED] निवासी [REDACTED] [REDACTED] को भली माति जानता हूँ यह [REDACTED] वर्षों से उक्त नवासी जिला [REDACTED] राजस्थान मे निवास कर रहा/रही है।

(2) मैं [REDACTED] पुत्र/पुत्री/कन्या/ [REDACTED] निवासी [REDACTED] जोखियाला
राजकीय सेवा [REDACTED] पद [REDACTED] पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
प्रार्थी/प्रार्थिया श्री/श्रीमती [REDACTED] गहनवर्मा पुत्र/पुत्री/कन्या/ [REDACTED] निवासी [REDACTED] जोखियाला
[REDACTED] जोखियाला [REDACTED] को मली माति जानता हूँ यह 15th वर्षों से उक्त निवासी जिला [REDACTED] जोखियाला
राजस्थान में निवास कर रहा/रही है।

(हिन्दू भाषा) **मंदारी व्याकरण**

नोट :- आवेदन पत्र के जाथ निम्न दस्तावेज भी संगलन करें :-

- आवेदन के दो नई तात्पुर फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर विपक्कारे (स्टेपल नहीं भरे) है। दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ संग्रह नहीं है।
 - संबंधित शास्त्र-पत्र (शास्त्र- पत्र असत्य राज्य वर्णित, करना भारतीय दाढ़ लिंगिता(गार्डीली) को धारा183 आदेन लीन रुक्ष के अनुसार अर्थदण्ड से दखलीय है।
 - साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावेज़।
 - उत्तरदायी व्यक्ति(संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य राजपत्रित अधिकारी जिला प्रनुख प्रधान जिला परिषद सदस्य संघ पर ग्राम सेवक पटवारी महापौर नगर पालिका अध्यक्ष नगर निगम सदस्य राजपत्रित कर्मचारी बीट प्रिसी (पुलिस) का प्रगाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

कार्यालय उपयोग के लिए

आधेदन जार्डकर्ता की प्रिपोर्ट :-

- 1 प्रार्थी द्वारा भरा गया विवरण 1 (महिलाओं के लिए I & II), सही एवं पूर्ण है।
 2 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एवं सही है।
 आवेदन पत्र पर विशेष विवरण

हूँ / नहीं
हूँ, 'नहीं

प्रार्थी को मूल निवास दिया जाना उचित है/आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण खरिज किया जाता है।
आवेदन पत्र आविष्या

प्रस्तुत उपर्युक्त एवं दृष्टिवेजो के आद्यार पर

मूल निवास जारी करने हेतु आदेश

- प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं दस्तावेजो के आधार पर मूल निवास जारी करने के आदेश दिये जाते हैं।
 आवेदन पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण / अन्य कारण खरिज किया जाता है।

प्राचीन भारतीय

(शपथ-पत्र मे असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता(आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

18 वर्ष के बाट यहाँ भरे

शपथ पत्र

(बालिंग होने की दशा में)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी राजस्थान का हूँ सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

- 1 यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
- 2 यह है कि मैं वर्तमान मे उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
- 3 यह है कि मेरी समस्त शिक्षा की है।
- 4 यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
- 5 यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

18 वर्ष से कम वाले आयु इसको भरे

शपथपत्र

(नाबालिंग होने की दशा में)

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि नाबालिंग होने पर

यहाँ माता-पिता का नाम

आएगा किसी एक का बच्चा

- 1 यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
- 2 यह है कि मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री है जो नाबालिंग है इस कारण से यह अपने पाते मे अपनी और से भेज कर रहा हूँ जिसकी आयु लगीदान 17 वर्ष है।
- 3 यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री का जन्म मे ही हुआ है।
- 4 यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भा कर रहा है।
- 5 यह है कि मैंने उपरोक्त का मूल निवासी प्रमाण-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
- 6 यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं पत्नी श्री निवासी राजस्थान की हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :-

- 1 यह कि मैं विवाह पश्चात उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
- 2 यह है कि मेरे पति श्री राजस्थान के मूल निवासी है।
- 3 यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास-पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
- 4 यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

जिस महिला की शादी हो गयी वो इस इसको भरे

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहित सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता